By Speed post

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर–492002

क्रमांक एफ 3–29 / 2015 / 12 नया रायपुर, दिनांक दिसम्बर, 2016

8 DEC 2016

प्रति,

कलेक्टर,
जिला रायगढ़
(छत्तीसगढ़)

विषय :– जिला रायगढ, तहसील तमनार स्थित कोल ब्लॉक गारेपेलमा सेक्टर–III के रकबा 629.538 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज कोयला का खनिपट्टा–मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड।

संदर्भ :– आपका पृष्ठांकित पत्र क्रमाक 3304–A / ख0लि0–2 / 2016, रायगढ़, दिनांक 31.8.2016.

––0––

मेसर्स मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के जिला रायगढ, तहसील तमनार स्थित कोल ब्लॉक गारेपेलमा सेक्टर–III के रकबा 639.10 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज कोयला का खनिपट्टा 30 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11.12.2015, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर के पत्र कमांक 4673 / एम0सी0सी0–2 / एम0एल0–08 / रायगढ़ / 2015, दिनांक 4.11.2016 द्वारा राज्य शासन के निर्णय हेतु अग्रेषित किया गया है।

2/ जिला रायगढ, तहसील तमनार स्थित प्रश्नाधीन कोल ब्लॉक गारेपेलमा सेक्टर–III, रकबा 639.10 हेक्टर क्षेत्र पूर्व में भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा मेसर्स गोवा इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को आबांटित किया गया था। आबंटिती कंपनी द्वारा दिनांक 29.05.2009 को खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 3–7 / 2010, दिनांक 29.3.2010 द्वारा भारत सरकार, कोयला मंत्रालय को पूर्वानुमोदन प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। जिस पर भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 31.05.2011 द्वारा पूर्वानुमोदन प्रदाय किया गया था। विभागीय पत्र दिनांक 12.04.2010 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमति हेतु लेख किया गया था। वन विभाग के पत्र दिनांक 01.10.2013 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनुमति प्रदान की गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उक्त आवंटन को निरस्त किया. गया। जिसे भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से आगे उल्लेखित अनुसार मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को आवंटन किया गया है।

3/ भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी वेस्टिंग आदेश कमांक 103 / 23 / 2015 / NA, दिनांक 14 सितम्बर 2015 अनुसार Nominated Authority (constituted under section 6 of the Coal Mines (Special Provisions) Act 2015) द्वारा Coal Mines Special Provisions Rule 2014 के नियम 13(1) व 7(2)(c) अन्तर्गत मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को जिला रायगढ़, तहसील तमनार, स्थित केप्टिव कोल ब्लाक "गारेपेलमा सेक्टर–III" आबंटित किया गया है। वेस्टिंग आदेश के अनुसार इस ब्लॉक से उत्पादित कोयले का उपयोग आबंटिती कंपनी द्वारा निम्नानुसार किया गया जावेगा :–

S. No	Name of Specified End Use Plant	Address	Configuration	Capacity
1	Marwa TPP	Village Marwa-Tendubhata, Dist.- Janjgir Champa, Chhattisgarh.	2x500 MW	1000 MW

4/ नीलामी के माध्यम से आवंटित कोल ब्लॉक्स में अबाध रूप से कोयला का उत्पादन सुनिश्चित किये जाने के लिये कोल ब्लॉक्स के लिये नीलामी के पूर्व में प्राप्त विभिन्न सम्मतियों एवं

..........................2

अनुमतियों के संबंध में अधिनियम, नियमों एवं आदेश में निम्नानुसार प्रावधान किये गये है :–

4.1 **THE COAL MINES (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 2015**

6(3)(d) recording and mutating incorporeal rights of whatsoever nature including, consents, permissions, permits, approvals, grants, registrations;

8(4)(c) any statutory licence, permit, permission, approval or consent required to undertake coal mining operations in Schedule I coal mines if already issued to the prior allottee

4.2 **COAL MINES (SPECIAL PROVISIONS) RULE, 2014.**

7. Powers and duties of the nominated authority.-

2(d) inform the relevant Central authorities and State authorities to record and mutate incorporeal rights of whatsoever nature including, of consents, permissions, permits, approvals, grants, registrations;

4.3 उपरोक्त पैरा–3 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप भारत सरकार व्दारा जारी वेस्टिंग आर्डर दिनांक 14.09.2015 के पैरा 1(a) में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:–

all the rights, title and interest of the prior allottee in and over the land and mine infrastructure free from all encumbrances;

4.4 वेस्टिंग आदेश दिनांक 14.09.2015 की कंडिका–3 में कोल ब्लॉक के पजेशन के संबंध में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है–

Hereinafter, the Allottee shall be entitled to take possession of the mine as specified in Annexure-1 without let or hindrance.

5/ उपरोक्तानुसार आवंटित कोल ब्लॉक गारेपेलमा सेक्टर–III के संदर्भ में संस्थान द्वारा प्रस्तुत खनिपट्टा आवेदन पर संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर के प्रस्ताव दिनांक 04.11.2016 अनुसार आवेदित क्षेत्र की स्थिति निम्नानुसार है :–

5.1 संस्थान द्वारा 1:4000 के स्केल में राजस्व नक्शा एवं टोपोशीट कमांक 64 N/8 एवं N/12 में आवेदित क्षेत्र चिन्हित कर प्रस्तुत किया गया है। प्रमाणित राजस्व नक्शा अनुसार खनिपट्टा हेतु आवेदित कुल रकबा 639.101 हेक्टर होना दर्शित है। संस्थान को जारी वेस्टिंग आदेश में आबंटित क्षेत्र के जो को–आर्डिनेट्स दिये है वे निम्नानुसार है :–

Latitude	22^{0} 10' 26" N to 22^{0} 11' 02" N
Longitude	83^{0} 27' 50" E to 83^{0} 32' 02" E

5.2 भारत सरकार, कोल मंत्रालय, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी कार्यालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13.10.2015 को गारेपेलमा सेक्टर–III कोल ब्लॉक का नवीन बाउण्ड्री को–आर्डिनेट्स निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है :–

Points	Latitude	Longitude
A	22^{0} 10' 24.363" N	83^{0} 27' 48.422"E
B	22^{0} 10.49.891" N	83^{0} 27' 26.624"E
C	22^{0} 11' 14.868" N	83^{0} 28' 41.766"E
D	22^{0} 11' 3.623" N	83^{0} 29' 59.367"E
E	22^{0} 10' 43.114" N	83^{0} 31' 56.861"E

5.3 भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के पत्र कमांक 104/28/2015/NA, दिनांक 13.10.2015 में दर्शाये अनुसार संशोधित WGS 84 को–आर्डिनेट्स के आधार पर सीएमपीडीआई, रांची ने पत्र कमांक सीएमपीडीआई/डीजी/केप्टिव्ह/211/702 दिनांक 11.07.2016 द्वारा वेस्टिंग आर्डर के को–आर्डिनेट् में संशोधन हेतु अनुसंशित किया है। उक्त के परिपेक्ष्य मे भारत सरकार, कोयला मंत्रालय नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संशोधित वेस्टिंग आदेश दिनांक 22.08.2016 जारी किया है। जिसमें अधिकतम एवं न्यूनतम को–आर्डिनेट्स निम्नानुसार है :–

	Min.	Max.
Latitude	22^{0} 10' 24.36" N	22^{0} 11'15.84" E
Longitude	83^{0} 27'.26.62" N	83^{0} 31' 56.86"E

..................3

5.4 सीएमपीडीआई के पत्र दिनांक 11.07.2016 में लेख किया गया है कि आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत बाउण्ड्री(आवेदित क्षेत्र) भारत सरकार कोयला मंत्रालय के पत्र क्रमांक 104/28/2015/NA, दिनांक 13.10.2015 में दर्शाये अनुसार संशोधित WGS 84 को–आर्डिनेट्स के अन्दर अवस्थित है। कलेक्टर रायगढ़ ने सूचित किया है कि संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ काउन्सिल आफ साईन्स एण्ड टेक्नालाजी, रायपुर से दिनांक 09.03.2016 को उपलब्ध रकबा 629.538 हेक्टर का डीजीपीएस सर्वे कराया गया है। नक्शे में डीजीपीएस सर्वे के को–आर्डिनेट्स निम्नानुसार दर्शित है :–

Points	Latitude	Longitude
A'	22^0 10' 25.840" N	83^0 28' 8.398"E
B'	22^0 10.56.953" N	83^0 27' 47.866"E
C	22^0 11' 14.867" N	83^0 28' 41.766"E
D	22^0 11' 3.623" N	83^0 29' 59.367"E
E	22^0 10' 43.114" N	83^0 31' 56.861"E

5.5 आवेदित क्षेत्र जिला रायगढ़, तहसील तमनार कुल रकबा 639.10 हेक्टर में से उपलब्ध रकबा 629.538 हेक्टर अन्तर्गत ग्राम ढोलनारा, बजरमुड़ा, करवाही, खम्हरिया एवं मिलूपारा समाहित है। आवेदित क्षेत्र में समाहित विभिन्न मद की भूमि का उपलब्ध रकबा निम्नानुसार है :–

क्र.	आवेदित ग्राम	आदिवासी भूमि (हे.में)	निजी (गैर आदिवासी) भूमि(हे.में)	शासकीय भूमि एवं निस्तार पत्रक में दर्ज भूमि(हे.में)	राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ के जंगल)(हे.में)	कुल योग (हे.में)
1	ढोलनारा	36.973	33.318	2.415	6.514	79.22
2	बजरमुड़ा	67.818	99.409	24.103	6.677	198.007
3	करवाही	21.329	16.534	5.463	6.496	49.822
4	खम्हरिया	1.218	22.717	1.492	5.249	30.676
5	मिलूपारा	25.663	58.102	15.257	7.689	106.711
योग		153.001	230.080	48.730	32.625	464.436

क.	वन रेंज का नाम	वन का प्रकार	वन कम्पार्टमेंट क्रमांक	वन भूमि का आवेदित रकबा (हेक्टर में)
1	तमनार	RF	721	41.000
2	तमनार	RF	722	73.028
3	तमनार	PF	730	5.400
4	तमनार	PF	743	4.200
5	तमनार	PF	738	15.985
6	तमनार	OA	733	18.783
7	तमनार	OA	734	3.126
8	तमनार	OA	735	0.270
9	तमनार	OA	736	1.354
10	तमनार	OA	737	1.956
योग				165.102
वनभूमि (आरक्षित वन, संरक्षित वन एवं आरेंज वन एरिया)				165.102
महायोग				629.538

6/ आवेदित क्षेत्र से संबंधित मायनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्ति की जानकारी निम्नानुसार है :–

6.1 भारत सरकार, कोल मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा माइनिंग प्लान अनुमोदन की जानकारी :–

Prepared On	Prepared by	Discription	Appoval date
Jan-2010	Shri L.N. Maheshari	5.0 MTPA (4.00MTPA-OC & 1.00 MTPA-UG)	No. 13016/57/2009-CA-1 dated17.05.2010

6.2 भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदाय पर्यावरणीय एवं वन अनुमति के संबंध में जानकारी :–

क्र.	अनुमति प्राप्त दिनांक	क्षमता (MTPA)	रिमार्क
1	Original EC No.J.110115/168/209-IA-II(M) dated 23.05.2013	5 MTPA to 6.5 MTPA	Open cast & Under Ground Mine
2	Revised EC No.J. 110115/168/209-IA-II(M) dated 17.6.2014	5 MTPA to 6.5 MTPA	Open cast & Under Ground Mine
3	Stage-I FC F.No. 8-91/2010 dated 11.04.2011	–	Open cast & Under Ground Mine
4	Stage-2 FC F.No. 8-91/2010 dated 16/17.09.2013	–	Open cast & Under Ground Mine

7/ उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के पक्ष में समग्र विचारोपरांत खनिज कोयला का खनिपट्टा निम्नानुसार अनुमतियों, शर्तो एवं विवरण के तहत स्वीकृत करता है :–

7.1 आवेदक कंपनी का नाम एवं पता – मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लि0 101 विद्युत सेवा भवन, डंगनियां, रायपुर–392013

7.2 स्वीकृत क्षेत्र का विवरण – जिला रायगढ, तहसील तमनार, ग्राम ढोलनारा, बजरमुड़ा, करवाही, खम्हरिया एवं मिलूपारा स्थित कोल ब्लॉक गारेपेलमा सेक्टर–III, रकबा 629.538 हेक्टर, पैरा–5.5 में तालिका में दर्शित विवरण एवं निम्नानुसार कोआर्डिनेट्स के अंतर्गत क्षेत्र :–

Points	Latitude	Longitude
A'.	22^0 10' 25.840" N	83^0 28' 8.398"E
B'	22^0 10.56.953" N	83^0 27' 47.866"E
C	22^0 11' 14.867" N	83^0 28' 41.766"E
D	22^0 11' 3.623" N	83^0 29' 59.367"E
E	22^0 10' 43.114" N	83^0 31' 56.861"E

7.3 खनिज का नाम – कोयला

7.4 स्वीकृत अवधि – 30 वर्ष

7.5 खनिपट्टा क्षेत्र का डी0जी0पी0एस0 से सर्वेक्षण/सीमांकन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही इसकी जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर, रायगढ़, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर एवं इस विभाग को भी दी जाय।

7.6 कोल ब्लॉक एलॉटमेन्ट एग्रीमेन्ट दिनांक 30.03.2015 तथा भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी वेस्टिंग आर्डर क्रमांक 103/23/2015/NA, दिनांक 14.09.2015(यथा संशोधित दिनांक 22.08.2016), क्रमांक 104/28/2015/NA, दिनांक 13.10.2015 तथा कोयला खनन संक्रिया से संबंधित समस्त अनुसंगी अधिनियम/नियम अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के सम्यक पालन की शर्त का पालन करना होगा।

7.7. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक जे–11015/168/2009–IA-II(M) दिनांक 23.5.2013 एवं 17.06.2014, भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8–91/2010–FC, दिनांक 16/17.09.2013, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र दिनांक 01.10.2013 के तहत उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा।

7.8 भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा कोल ब्लॉक आवंटन हेतु जारी आदेश, अनुमोदित मायनिंग प्लान तथा पूर्वानुमोदन प्रदान करते समय जोडी गई शर्तो को खनिपट्टा अनुबंध का भाग मानते हुए शामिल किया जाएगा।

7.9 आवेदक संस्थान द्वारा निजी भूस्वामियों की भूमि पर खनन कार्य छत्तीसगढ़ भू–राजस्व सहिता, 1959 के प्रावधानों के अधीन नियमानुसार सरफेस राईट प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा।

7.10 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के तहत सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनिपट्टा क्षेत्र पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति संबंधित कलेक्टर द्वारा प्रदान की जाएगी।

7.11 खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, यथा संशोधित अधिनियम, 2015 एवं यथा संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7.12 खनिपट्टा हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों एवं इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत नियमानुसार जो भी अनुमति प्राप्त किए जाने की आवश्यकता हो, तत्संबंधी अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाय।

8/ मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को आदेश के पैरा–03 में उल्लेखित भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के कोल ब्लॉक वेस्टिंग आदेश दिनांक 14.9.2015(यथा संशोधित दिनांक 22.08.2016) में उल्लेखित शर्त अनुसार खनिपट्टा क्षेत्र से उत्पादित खनिज कोयला का उपयोग अनिवार्यतः **Specified End Use Plant** में ही किया जाएगा।

9/ यदि मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को उपर्युक्त शर्तें मान्य हो तो कलेक्टर, जिला रायगढ से नियमानुसार जमानत राशि जमा कराकर आदेश प्राप्त होने के 06 माह के भीतर अनुबंध का निष्पादन किया जाए। उक्त खनिपट्टा अनुबंध में उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का समावेश अतिरिक्त कंडिका के तौर पर किया जाकर **खनिपट्टा अनुबंध(लीज डीड) के प्रारूप का अनुमोदन अनिवार्यतः खनिज साधन विभाग से कराने के उपरांत ही खनिपट्टा अनुबंध (लीज डीड) का निष्पादन किया जाए** एवं अनुबंध की एक प्रति भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के साथ–साथ संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं इस विभाग को भी भेजी जाए।

10/ अनुबंध निष्पादन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड पर खनिज राजस्व की कोई राशि बकाया तो नहीं है।

11/ खनिपट्टा क्षेत्र में कार्य करने के लिए भू–प्रवेश हेतु अनुमति वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल रायगढ़, जिला रायगढ़ से तत्संबंधी अनुशंसा प्राप्त करने के उपरांत ही प्रदान की जाएगी।

संलग्न– नक्शा एवं लैण्ड डिटैल्स।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

8/12/16
(संजय कनकने)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 3–29/2015/12, नया रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर, 2016
8 DEC 2016

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली की ओर उनके पत्र क्रमांक 103/23/2015–NA, दिनांक 14.09.2015, दिनांक 13.10.2015 एवं दिनांक 22.08.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ
2. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय(एफ0सी0डिवीजन), पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली

3. अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, गोण्डवाना हाऊस, कॉके रोड़, रांची(झारखण्ड)
4. कार्यालय कोल कंट्रोलर, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नंबर–1 काऊंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता–700001(पश्चिम बंगाल)
5. डायरेक्टर आफ माईन्स एण्ड सेफ्टी, सीपत रोड़, एसईसीएल लिमिटेड परिसर, बिलासपुर(छत्तीसगढ़)
6. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, रोहिणीपुरम्, रायपुर(छत्तीसगढ़)
7. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर(छत्तीसगढ़)
8. अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980, अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड, रायपुर(छत्तीसगढ़)
9. वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, जिला बिलासपुर(छत्तीसगढ़)
10. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल रायगढ़, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़)
11. मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, 101 विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर(छत्तीसगढ़)
12. गार्ड फाईल रजिस्टर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग